



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थित: धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP2002)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1153/2026
CNR No. UPGH010027162026

प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र अमरनाथ शर्मा निवासी ग्राम पिपनार, थाना मरदह, जिला गाजीपुर।
 -----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

- 1- उ.प्र. राज्य
- 2- उपनिरीक्षक रवीन्शु पाण्डेय, थाना मरदह, जिला गाजीपुर।

-----विपक्षीगण

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1189/2026
CNR No. UPGH010027642026

अनूप सिंह उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम खजुरगांव, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर।
 -----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

- 1- उ.प्र. राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
- 2- उपनिरीक्षक रवीन्शु पाण्डेय, थाना मरदह, जिला गाजीपुर।

-----विपक्षीगण

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1193/2026
CNR No. UPGH010027682026

प्रिन्स सिंह उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र संतोष सिंह साकिन खजुरगांव, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर।
 -----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

- 1- उ.प्र. राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
- 2- उ०नि० रवीन्शु पाण्डेय, थाना मरदह, जिला गाजीपुर।

-----विपक्षीगण

मु०अ०सं०-142/2026

धारा-317(2) बी०एन०एस०

थाना-मरदह, जनपद गाजीपुर।

अभियुक्तगण की ओर से: श्री सुनील दत्त त्रिपाठी, एड०
 श्री रामाश्रय सिंह, एडवोकेट
 श्री जे०बी० सिंह, एडवोकेट
राज्य की ओर से: श्री कृपाशंकर राय जिला शासकीय
 अधिवक्ता(दाण्डिक)

16-06-2026

आदेश

1- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1153/2026 आवेदक/अभियुक्त प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा की ओर से, प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1189/2026

आवेदक/अभियुक्त अनूप सिंह की ओर से व प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1193/2026 आवेदक/अभियुक्त प्रिन्स सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-142/2026, अंतर्गत धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना मरदह, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या व एक ही घटना से संबंधित है तथा पृथक-पृथक प्रस्तुत किये गये हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ ही किया जा रहा है।

2- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26-05-2026 को वादी मुकदमा उ०नि० रवीन्धु पाण्डेय मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/संदिग्ध व्यक्ति व चेकिंग संदिग्ध वाहन करते हुए पिपनार मोढ़ पर मौजूद थे कि समय 23:05 बजे मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि UP53EB1490 की नम्बर प्लेट लगी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर चार पहिया वाहन से चार व्यक्ति चोरी किये गये सामान की बिक्री हेतु पिपनार गेट, पोखरे के पास जायेंगे। उक्त सूचना पर विश्वास कर मय हमराह के तत्काल पिपनार गेट, पोखरे के पास पहुंचे। तभी पिपनार गेट पोखरे के पास मुखबिर द्वारा बताया गया चार पहिया वाहन अंधेरे में पार्किंग लाइट जलाकर खड़ी थी। जिससे वादी मुकदमा उ० नि० द्वारा अपने सहकर्मियों के मदद से एकबारगी अचानक से घेर लिया गया। चार पहिया वाहन का गेट खुलवाया गया तथा नाम-पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो वाहन चालक ने अपना नाम इशान्त सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह तथा अन्य तीन व्यक्तियों ने अपना नाम अनूप सिंह पुत्र मनोज सिंह, प्रिंस सिंह पुत्र सन्तोष सिंह एवं प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा पुत्र अमरनाथ शर्मा बताया। वाहन चालक इशान्त सिंह की जामा तलाशी से उसके द्वारा अपनी कमर में बांधे फेटे में खुसा हुआ एक अदद् तमन्चा 315 बोर मिला। उक्त अवैध तमन्चा रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। पहने हुए जिन्स पैण्ट के दांये जेब की तलाशी से से एक अदद् जिन्दा कारतूस 315 बोर मौजूद मिला तथा शर्ट के बांयी जेब से एक अदद् मोबाइल Vivo कम्पनी का क्रीम कलर का काला कवर चढ़ा हुआ प्राप्त हुआ। अन्य कार में बैठे अनूप सिंह के पास से one plus कम्पनी का बैंगनी रंग व काला कवर चढ़ा हुआ मोबाइल प्राप्त हुआ। प्रिंस सिंह के पास से Real me कम्पनी का नीले रंग मोबाइल प्राप्त हुआ। प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा के पास से oppo कम्पनी का हल्का हरा रंग का जामुनी रंग का कवर चढ़ा हुआ मोबाइल प्राप्त हुआ। कार की तलाशी ली गयी तो कार के पिछले सीट पर बांयी तरफ पम्पिंग सेट (डीजल इंजन) प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि यह पम्पिंग सेट उन्होंने अपने गाँव के रहने वाले शेषनाथ विश्वकर्मा पुत्र स्व० मनोहर विश्वकर्मा के ट्यूबेल से चोरी किया था तथा इसे बेचने के सिलसिले में अपने गाँव खजूर गाँव से पिपनार के रहने वाले प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा से बातचीत करने आये थे। वे इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि थाना कासिमाबाद में मु० अ० सं०-193/26 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत है। बरामदशुदा एक अदद् तमन्चा मय एक अदद् जिन्दा कारतूस तथा चार अदद् मोबाइल को अलग अलग फाइबर के पारदर्शी डिब्बे में रखकर समुदित किया गया तथा नमूना मोहर अलग से तैयार किया गया। बरामदशुदा चार पहिया वाहन के बाबत पकड़े गये अभियुक्त इशान्त सिंह द्वारा बताया गया यह वाहन उसके पिता बिजेन्द्र सिंह के नाम से पंजीकृत है। बरामदशुदा वस्तुओं की फर्द बरामदगी निर्मित की गयी तथा उक्त के आधार पर अभियुक्तगण इशान्त सिंह, अनूप सिंह, प्रिन्स सिंह व प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा अपराध संख्या 142/2026, थाना मरदह, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3- आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई

अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध संबंधित थाना द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मामले में चालान किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास से गलत बरामदगी दर्शायी गयी है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। कथित अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27-05-2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4- जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को चोरी किये पम्पिंग इंजन के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

5- मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या-193/2026, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर में चोरी किये गये डीजन इंजन पम्पिंग सेट के साथ गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं होना बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित धारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा आरोपित धारा में सात वर्ष से कम की सजा का प्राविधान है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 27-05-2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है।

6- अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा, अनूप सिंह व प्रिंस सिंह के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को मुब० 50,000/- रुपये का स्व बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धांतों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक-एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

- (1)- आवेदकगण/अभियुक्तगण इस प्रकार का अपराध दुबारा नहीं करेंगे।
- (2)- आवेदकगण/अभियुक्तगण साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे अथवा मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।
- (3)- जब तक कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वे प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

इस आदेश की एक-एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1189/2026 व जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1193/2026 की पत्रावली में रखी जावे।

दिनांक: 16-06-2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर।
JO CODE UP2002